रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 466] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 20, 2010/श्रावण 29, 1932
No. 466] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 20, 2010/SHRAVANA 29, 1932

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2010

सा.का.नि. 693(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 का उपधारा (2) के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और (1) भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल, दर्जी काडर भर्ती नियम, 1999, (2) भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल, माली काडर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1999, (3) भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल, मोची काडर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1999 और (4) भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल, कांस्टेबल (दर्जी), कांस्टेबल (माली) और कांस्टेबल (मोची) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2008, को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल में निरीक्षक (दर्जी), उप–निरीक्षक (दर्जी), हैड कांस्टेबल (दर्जी/मोची/माली) और कांस्टेबल (दर्जी/मोची/माली) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल, दर्जी, मोची और माली काडर, समूह 'ख' और 'ग' पद, भर्ती नियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना** : ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान.—** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान वह होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.—** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उपरोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.—** वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **चिकित्सक दृष्टया योग्यता.—** इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केवल वे व्यक्ति जो भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल चिकित्सा मैनुअल खंड–III में यथा विनिर्दिष्ट चिकित्सा प्रवर्ग शेप–I, में है, प्रोन्नति और नियुक्ति के लिए पात्र होंगे जिसमें इन नियमों के उपबधों के अधीन प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन द्वारा नियुक्ति सम्मिलित है।

7. **शिथिल करने की शक्ति.—** जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. **व्यावृत्ति.—** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. निरीक्षक (दर्जी)	1* (2010) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड– 2, 9300–34800 रू0 + ग्रेड वेतन 4600 रू0	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा
(7)
लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(11)	(12)
प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति जिसमें भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्नियोजन सम्मिलित है।	**प्रोन्नति द्वारा :** भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे उप–निरीक्षकों (दर्जी) में से, जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो और जिन्होंने विभाग द्वारा विहित पूर्व प्रोन्नति पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों में अर्हता प्राप्त की हो। **टिप्पण 1.**— उप–निरीक्षक (दर्जी) की बाबत् प्रोन्नति के लिए पात्रता शर्त, जो इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं, तीन वर्ष जारी रहेगी। **टिप्पण 2.**— 1.1.2006/या वह तारीख जब से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

	टिप्पण 3.— जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति द्वारा :** केन्द्रीय या राज्य सरकार विभागों के ऐसे कार्मिक.— (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे है; (ii) जिनके पास मान्यताप्राप्त संस्थान से कटिंग और सिलाई का डिप्लोमा हो; और (iii) कटर और आउट फिटर के रूप में तीन वर्ष का अनुभव हो। **टिप्पण 1.—** विभागीय अभ्यर्थी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतगर्त केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को बावन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2.—** 1.1.2006 या वह तारीख जब से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी। **पुनर्नियोजन द्वारा :** सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास कोई अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(13)	(14)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. उप महानिरीक्षक, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल — अध्यक्ष 2. कमांडेंट या सेकण्ड–इन–कमांड, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य 3. उप कमांडेंट या सहायक कमांडेंट, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. उप–निरीक्षक (दर्जी)	6* (2010) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड– 2, 9300–34800 रू0 + ग्रेड वेतन 4200 रू0	चयन	लागू नहीं होता

(7)
लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसमें भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्नियोजन सम्मिलित है।	**प्रोन्नति द्वारा :** भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे हैड कांस्टेबल (दर्जी) में से जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष समाधान प्रद सेवा की हो और जिन्होंने विभाग द्वारा विहित पूर्व प्रोन्नति पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों में अर्हता प्राप्त की हो। **टिप्पण 1.**— 1.1.2006 या वह तारीख जब से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी। **टिप्पण 2.**— जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

	प्रतिनियुक्ति द्वारा : केन्द्रीय या राज्य सरकार के अन्य विभागों के कार्मिक जो,— (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे है; (ii) जिनके पास मान्यताप्राप्त संस्थान से कटिंग और सिलाई का डिप्लोमा हो; और (iii) कटर और आउट फिटर के रूप में दो वर्ष का अनुभव हो। **टिप्पण 1.**— विभागीय अभ्यर्थी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतगर्त केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को बावन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2.**— 1.1.2006 या वह तारीख जब से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी। **पुनर्नियोजन द्वारा :** सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास कोई अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

(13)	(14)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. उप महानिरीक्षक, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल – अध्यक्ष 2. कमांडेंट या सेकण्ड–इन–कमांड, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य 3. उप कमांडेंट या सहायक कमांडेंट, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. हैड कांस्टेबल (क) दर्जी–115 (ख) मोची– 53 (ग) माली– 49	217* (2010) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड– 1, 5200–20200 रू0 + ग्रेड वेतन 2400 रू0	चयन	लागू नहीं होता

(7)
लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नही होता

(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसमें भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्नियोजन सम्मिलित है।	**प्रोन्नति द्वारा :** भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल के अपने–अपने ट्रेड के कांस्टेबलों में से जिन्होंने उस श्रेणी में पॉच वर्ष नियमित सेवा की है और विभाग द्वारा विहित पूर्व प्रोन्नति पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों में अर्हता प्राप्त की हो। **टिप्पण 1.**— 1.1.2006 या वह तारीख जब से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी। **टिप्पण 2.**— जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति द्वारा :** केन्द्रीय या राज्य सरकार के अन्य विभागों से कार्मिक जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे है। **टिप्पण 1.**— विभागीय अभ्यर्थी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतगर्त केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को बावन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2.**— 1.1.2006 या वह तारीख जब से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

	पुनर्नियोजन द्वारा : सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास कोई अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

(13)	(14)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति/पुष्टि के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :– 1. कमांडेंट, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल – अध्यक्ष 2. उप कमांडेंट, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य 3. सहायक कमांडेंट, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. कांस्टेबल (क) दर्जी– 192 (ख) मोची– 157 (ग) माली– 113	462* (2010) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड– 1, 5200–20200 रू0 + ग्रेड वेतन 2000 रू0	लागू नही होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा

(7)

18 और 23 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पॉच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)

टिप्पण.— आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निणार्यक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू–कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप संघ राज्यक्षेत्र या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(8)	(9)	(10)
1. (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वी कक्षा उत्तीर्ण; (ii) संबंधित ट्रेडों में कार्य का दो वर्ष का अनुभव; या (iii) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/व्यावसायिक संस्थान से एक वर्षीय प्रमाण पत्र के साथ ट्रेड में कम से कम एक वर्ष का अनुभव; या (iv) ट्रेड में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से दो वर्षीय डिप्लोमा।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।

2. शारीरिक मानकः— ऊंचाई छाती (क) साधारण, अन्य पिछडे वर्ग और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 167.5 सें.मी. 78—83 सें.मी. (ख) अनुसूचिज जनजातियों के के अभ्यर्थियों के लिए 162.5 सें.मी. 76—81 सें.मी. (ग) गढ़वाली, कुमाउंनी, गोरखा, डोगरा, मराठा की श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थियों और सिक्किम, नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर तथा जम्मू—कश्मीर क्षेत्र के लेह और लद्दाख से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए 165 सें.मी. 78—83 सें.मी. **वजनः** चिकित्सा मानकों के अनुसार ऊंचाई और आयु के आनुपातिक 3. **चिकित्सा मानकः** (क) दृष्टिः दोनों आंखो की न्यूनतम दूर दृष्टि किसी सुधार के बिना (अर्थात् बिना चश्में पहने) 6/6 और 6/9 होनी चाहिए। (ख) उच्च श्रेणी की रंग दृष्टि परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण होनी चाहिए। (ग) घुटने खड़खड़ाते नही हो, सपाट पैर ना हो, फूली हुई नसें या तिर्यक ऑखे न हो। (घ) ऐसा कोई दोष/विरूपता न हो जो उसके कर्तव्यों के दक्ष पालन में विध्न डाले। 4. शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा और व्यवसाय परीक्षा अवश्य अर्हित करनी चाहिए।		

(11)	(12)
100% सीधी भर्ती द्वारा। **टिप्पणः** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियॉ केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी; (क) नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हों; और (ख) स्तंभ (8) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हों।	लागू नहीं होता

(13)	(14)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (चयन/पुष्टि के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. कमांडेंट, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल — अध्यक्ष 2. उप कमांडेंट, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य 3. सहायक कमांडेंट, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य	लागू नहीं होता

[फा. सं. I. 12013/6/2009-संगठन]

एस. सी. सिवाजी राव, उप-सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th August, 2010

G.S.R. 693(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of sub-section (2) of section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992) and in supersession of the (1) Indo-Tibetan Border Police Force, Tailor Cadre Recruitment Rules, 1999, the (2) Indo-Tibetan Border Police Force, Gardener Cadre (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 1999, the (3) Indo-Tibetan Border Police Force, Cobbler Cadre (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 1999 and the (4) Indo-Tibetan Border Police Force, Constable (Tailor), Constable (Gardener) and Constable (Cobbler) Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2008, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Inspector (Tailor), Sub-Inspector (Tailor), Head Constable (Tailor/Cobbler/Gardener) and Constable (Tailor/Cobbler/Gardener) in the Indo-Tibetan Border Police Force, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Tailor, Cobbler and Gardener Cadre, Group 'B' and 'C' Posts Recruitment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts mentioned in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and Pay Band and Grade Pay/Pay Scale.**—The number of the said posts, their classification and the Pay Band and Grade Pay/Pay Scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

5. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Medical Fitness.**—Notwithstanding anything contained in these rules, only those persons who are in medical category SHAPE-I, as specified in the Indo-Tibetan Border Police Force Manual, Volume-III, Medical Manual shall be eligible for promotion and appointment including appointment by deputation or re-employment under the provisions of these rules.

7. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

8. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post	Classification.	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale.	Whether selection post or non-selection post.	Whether benefit of added years of service admissible under rules 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Inspector (Tailor)	1* 2010 *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted, (Non-Ministerial).	Pay Band-2, Rs. 9300-34800 plus Grade Pay Rs. 4600/-.	Selection.	Not applicable.

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(10)	(11)
Not applicable.	By promotion failing which by deputation including re-employment of Ex-servicemen.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption in grade from which promotion or deputation or absorption to be made.
(12)
By promotion: From amongst the Sub-Inspectors (Tailor) of Indo-Tibetan Border Police having five years regular service in the grade and have qualified pre promotion Course or Courses prescribed by the department. **Note 1.**— The eligibility condition for promotion in respect of Sub-Inspector (Tailor), who are holding the post on regular basis, on the date of the notification of these rules shall continue to be three years. **Note 2.**— The service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendation of the Commission. **Note 3.**— Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

By Deputation:

Personnel of the Central or State Government departments,—

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department;
(ii) having Diploma in cutting and Tailoring from a recognised institution; and
(iii) Three years experience as Cutter and Out-fitter.

Note 1.— The departmental candidates who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment by deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other Organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-two years as on the closing date of receipt of application.

Note 2.— The service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendation of the Commission.

By re-employment:

The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having requisite experience and qualifications prescribed for deputation shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; and thereafter they may be continued on re-employment.

If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(13)	(14)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for Promotion) consisting of: 1. Deputy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman 2. Commandant or Second-in-Command, Indo-Tibetan Border Police Force - Member, 3. Deputy Commandant or Assistant Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Sub Inspector (Tailor)	6* 2010 *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted, (Non-Ministerial).	Pay Band-2, Rs. 9300-34800 plus Grade Pay Rs. 4200/-.	Selection.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(10)	(11)
Two years.	By promotion failing which by deputation including re-employment of Ex-servicemen.

(12)
By promotion: From amongst Head Constable(Tailors) of Indo-Tibetan Border Police having ten years satisfactory service in the grade and have qualified pre promotion Course/Courses prescribed by the department. **Note 1.**— The service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendation of the Commission. **Note 2.**— Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **By deputation:** Personnel of the other Central or State Government departments,— (a) (i) holding equivalent or analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; (ii) having Diploma in Cutting and Tailoring from a recognised institution; and (iii) Two years experience as Cutter and Out-Fitter. **Note 1.**— The departmental candidates who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment by deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other Organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-two years as on the closing date of receipt of application. **Note 2.**— The service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendation of the Commission. **By re-employment:** The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having requisite experience and qualifications prescribed for deputation shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; and thereafter they may be continued on re-employment.

(13)	(14)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for Promotion/) consisting of:- 1. Deputy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman, 2. Commandant or Second-in-Command, Indo-Tibetan Border Police Force - Member, 3. Deputy Commandant or Assistant Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Head Constable (a) Tailor - 115 (b) Cobbler- 53 (c) Gardener- 49	217* 2010 *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, (Non-Ministerial).	Pay Band-1, Rs. 5200-20200 plus Grade Pay Rs. 2400/-.	Selection.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(10)	(11)
Not applicable.	By promotion failing which by deputation including re-employment of Ex-servicemen.

(12)
By promotion: From amongst Constables of respective trade of Indo-Tibetan Border Police having five years regular service in the grade and have qualified pre promotional course or courses prescribed by the department. **Note 1.**— The service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendation of the Commission. **Note 2.**— Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **By deputation:** Personnel of the other Central or State Government departments holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department. **Note 1.**— The departmental candidates who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment by deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other Organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-two years as on the closing date of receipt of application. **Note 2.**— The service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendation of the Commission. **By re-employment:** The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having requisite experience and qualifications prescribed for deputation shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; and thereafter they may be continued on re-employment.

(13)	(14)
Group 'C 'Departmental Promotion Committee (for Promotion/Confirmation) consisting of:- 1. Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman, 2. Deputy Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member, 3. Assistant Commandant Indo-Tibetan Border Police Force - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Constable (a) Tailor - 192 (b) Cobbler- 157 (c) Gardener-113	462* 2010 *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, (Non-Ministerial).	Pay Band-1, Rs. 5200-20200 plus Grade Pay Rs. 2000/-.	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)
Between 18 and 23 years (Relaxable in the case of Government Servants in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time). Note:- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghlaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Division of Chamba District of Himachal Pradaesh, Andman Nicobar Islands and Lakshadweep).	1. (i) 10th Class pass from a recognised Board; (ii) two years work experience in respective trade; or (iii) one year certificate from Industrial Training Institute/ Vocational Institute with at least one year experience in the trade; or (iv) two years Diploma from Industrial Training Institute in the trade. 2. **Physical Standard:** Height / Chest (a) General, Other Backward Classes and Schedule Caste candidates: 167.5 Cms / 78-83 Cms (b) For Candidates belonging to Scheduled Tribes 162.5 Cms / 76-81 Cms (c) For Candidates falling under categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the States of Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura, Mizoram, Meghalaya, Assam, Himachal Pradesh, Kashmir and Leh and Ladakh regions of Jammu and Kashmir. 165 Cms / 78-83 Cms **Weight:** Proportionate to height and age as per medical standards. 3. **Medical Standards:** (a) Vision: Minimum distant vision should be 6/6 and 6/9 of both eyes without correction (i.e. without wearing glasses). (b) Must pass high grade colour vision test. (c) Must not suffer from knock knees, flat foot, varicose veins or squint in the eyes. (d) Must not be having any defect/deformity likely to interfere with the efficient performance of duties. 4. Must qualify the Physical efficiency test, written test and trade test.	Not applicable.

	(11)
Two years.	100% by direct recruitment. **Note.**— Vacancies caused by the incumbents being away on deputation or being illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government; (a) holding analogous post on regular basis; and (b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column- 8.

(12)
Not applicable.

(13)	(14)
Group 'C' Departmental Selection Committee (for Selection/Confirmation) consisting of:- 1. Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman, 2. Deputy Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member, 3. Assistant Commandant Indo-Tibetan Border Police Force - Member.	Not applicable.

[F. No. I. 12013/6/2009-Org.]

S. C. SIVAJI RAO, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.